रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 12, 2018/पौष 22, 1939
No. 21] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 12, 2018/PAUSHA 22, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2018

सं. 1/2018-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 23(अ).—सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आकलन और उनपर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20, 22 और 23 के साथ पठित, और 2017 की रिट याचिका संख्या 12950, में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 06.11.2017 को दिए गए अंतिम आदेश के मद्देनजर केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 30/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 16 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 597(अ), दिनांक 16 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उक्त अधिसूचना में पैरा 3 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"3. और जहां कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 06 नवम्बर, 2017 के अंतिम आदेश में यह कहा है कि "यह रिट याचिका खारिज की जाती है और याचिका कर्त्ता को यह छूट है कि वह दिनांक 16 जून, 2017 की अधिसूचना के प्रति सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अंतर्गत कोई भी वैकल्पिक समाधान प्राप्त कर सकता है और प्रथम प्रतिवादी को यह निर्देश दिया जाता है कि वह इस अधिसूचना को अब से लागू कर सकता है"

4. अत: अब माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के मद्देनजर, अधिसूचना संख्या 30/2017, दिनांक 16 जून, 2017 को जो आस्थगित रखा गया था उसे अब वापस लिया जाता है और यह अधिसूचना लागू की जाती है।"

[फा. सं. 354/46/2014-टीआरयू]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2018

No. 1/2018-Customs (ADD)

G.S.R. 23(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) read with rules 18, 20, 22 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, and in view of the Final Order dated 06.11.2017 of the Hon'ble Madras High Court in respect of Writ Petition No. 12950 of 2017, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 30/2017-Customs (ADD), dated the 16th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 16th June, 2017 *vide* number G.S.R. 597(E), dated the 16th June, 2017 namely:—

In the said notification, for para 3 the following shall be substituted:

"3. And whereas the Hon'ble High Court *vide* its Final Order dated the 6th November, 2017 has ordered that "The Writ Petitions are dismissed, leaving it open to the petitioners to avail the alternate remedy available to them under the Customs Tariff Act, as against the notification dated the 16th June, 2017, with a direction to the first Respondent to forthwith give effect to the notification"

4. Now, therefore, in view of the final order of Hon'ble High Court, the order keeping the notification No. 30/2017, dated the 16th June, 2017 in abeyance stands withdrawn and the notification is given effect to."

[F. No. 354/46/2014-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.01.12 22:58:28 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.